रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2011, शनिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1933
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2011, SATURDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2011

का.नि.आ. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन, महानिदेशालय, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2005 और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-III, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है;

रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(11)
Note : For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an official prior to 1st January of 2006,the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. General Officer Commanding or Director or Deputy Director or Additional Director or Commandant or Officer-in-Charge or Officer Commanding or Principal or Group Commander or Inspector or Chief Engineer or Chief Engineer Project or Colonel Admn. — Chairman 2. Senior Administrative/Establishment Officer — Member 3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/ Major/Captain equivalent rank from an unconnected Department — Member	Not applicable.

[F. No. 15203/8/MP-4(Civ)(a)/786/RR/D(Appts)]

S.S.S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2011

का.नि.आ. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, आशुलिपिक पद भर्ती नियम, 2000 को जहाँ तक उस का संबंध आशुलिपिक श्रेणी-III पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में आशुलिपिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक (भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणी III) ।	99* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन, 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम केवल कंप्यूटर पर : श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर 10 मिनट अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पदधारी के बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के नियमित आधारा पर सदृश पद धारण कर रहे अधिकारियों में से भरा जा सकेगा और वे स्तंभ (7) में विहित सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं रखते हों ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. स्थापना का प्रधान —अध्यक्ष 2. स्थापना का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. स्टेशन या समीप के स्टेशन में अवस्थित गुणता महानिदेशालय स्थापना से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए/86320/आर. आर./स्टैनो/डी.जी.क्यू.ए./प्रशासन-10/डी (क्यू ए)/2513/2011]

सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 18th November, 2011

S.R.O. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance (Stenographers) Posts Recruitment Rules, 2000 in so for as they relate to the post of Stenographer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment, Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer (Erstwhile Stenographer Grade-III)	99* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	PB-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	18-27 years (Relaxable for departmental candidates upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University; and (ii) Skill test norms only on computers: **Dictation** : 10 minutes @ 80 words per minute. **Transcription :** 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to the filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of	Not applicable

(10)
one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 7.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Head of the Establishment —Chairman 2. A Group 'A' Officer of the Establishment —Member 3. A Group 'A' Officer from other Directorate General of Quality Assurance Establishment located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

[F. No. A-86320/RR/Steno/DGQA/Adm-10/2513/D(QA)/2011]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.